न्यायालयपंचम अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर अधिनियम),
लखीमपुर–खीरी।
दाण्डिक वाद संख्याः 16 / 2008
सरकार बनाम सुरेन्द्र
थाना– फरधान, जनपद लखीमपुर खीरी

3–1–2019

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त रामू, सुरेन्द्र व उत्तम व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हैं। आरोप के प्रश्न पर सुना गया। पत्रावली पर मौजूद जुवानी सूचना, चिक प्राथमिकी,गैंग चार्ट,जी0डी0. कायमी, आरोपपत्र व केस डायरी का परिशीलन करने पर पाया गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–3 गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में आरोप सृजित किए जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता हैं। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 3 गैंगस्टर अधिनियम के दण्डनीय अपराध में आरोप को सृजित किया गया, सृजित आरोप को अभियुक्तगण को उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्तगण के द्वारा तदोपरान्त सृजित आरोप से इंकार कर, विचारण की मांग की गयी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 25–1–2019 को पेश हो। अभियोजन नियत दिनांक वास्ते साक्षीगण को तलब कराना सुनिश्चित करें।

दिनांकः 3–1–2019

पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, / विशेष न्यायाधीश
(गैंगेस्टर अधिनियम), लखीमपुर–खीरी।